उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

बुधवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1947

(13 अगस्त, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

2-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों को सदन की मेज पर रखेंगे :-

(1) उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025

(2) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025

(3) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

(4) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025

(5) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

(6) उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक, 2025

3-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2025) सदन की मेज पर रखेंगे।

4-मुख्य मंत्री, सतर्कता अनुभाग-4 लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में माननीय लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 2022 (खण्ड-1 पृष्ठ-1 से 265),

(खण्ड-2 पृष्ठ-266 से 559), (खण्ड-3 पृष्ठ-560 से 729) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) तथा माननीय लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, 2023 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

5-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2020-2021 का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-63 की उपधारा (5) (क) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

6-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-79/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-275-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (337)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

7-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-80/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-276-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (338)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

8-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-81/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-274-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (339)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

9-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-82/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-273-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (340)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

10-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-83/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-277-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (341)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

11-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-84/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-278-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (342)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

12-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-85/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-279-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (343)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

13-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-86/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-280-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (344)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

14-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-298/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-281-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (345)-2025, दिनांक 28 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

15-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-70/ग्यारह-2-25-9 (42)-17-टी0सी0-71-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (336)-2025, दिनांक 24 मार्च, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

16-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-331/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-282-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (346)-2025, दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

17-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-520/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-283-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (347)-2025, दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

18-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-330/ग्यारह-2-25-9 (42)-17-टी0सी0-72-उ0 प्र0 जी0 एस0 टी0 नियम-2017-आदेश (348)-2025, दिनांक 17 अप्रैल, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

19-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-623/ग्यारह-2-25-9 (42)-17-टी0सी0-73-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश (349)-2025, दिनांक 21 मई, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

20-वित्त मंत्री, छठा राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश की अन्तरिम रिपोर्ट (वर्ष 2025-26 व 2026-27 के लिये) व उस पर राज्य सरकार के कार्यवाही ज्ञापन (एक्शन-टेकन रिपोर्ट) को संविधान के अनुच्छेद-243 (झ) (4) व 243 (म) (2) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

21-वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा) में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-4 (निष्पादन लेखा परीक्षा) को महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

22-जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

23-खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ का वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा एवं महालेखाकार द्वारा सम्पादित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 को उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा-30 की उपधारा (5) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

24-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, 2025 को उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा-41 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी

25-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष 2024-2025, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल का 25वां प्रतिवेदन जो समिति वर्ष 2022-23 एवं 2024-25 में राजस्व विभाग से सम्बन्धित शिकायती पत्रों के निस्तारण पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगी।

26-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में सर्वश्री मुकुल यादव, लाल बिहारी यादव, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, (डा0) मान सिंह यादव, मो0 जासमीर अंसारी, शाह आलम व श्री किरण पाल कश्यप, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

27-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, प्रदेश के कई विभागों में पद रिक्त होने के बावजूद बढ़ती बेरोजगारी के सम्बन्ध में सर्वश्री (डा0) मान सिंह यादव, लाल बिहारी यादव, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, मो0 जासमीर अंसारी, शाह आलम, मुकुल यादव, किरण पाल कश्यप व श्री शाहनवाज खान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

28-मुख्य मंत्री, जनपद-सिद्धार्थनगर में वर्ष 2023-24 में की गयी धान खरीददारी तथा वर्ष 2024-25 में किये गये गेहूं की खरीददारी में की गयी अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच तथा सम्बन्धितों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

29-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र कस्ता के मुख्य कस्बा कस्ता से राज्य मुख्यालय लखनऊ तक सीधी सरकारी बस सेवा संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री मुकेश शर्मा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

30-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, प्रदेश के सेवायोजन कार्यालय में शिक्षक एवं मार्गदर्शन केन्द्र के अनुदेशक संवर्ग की पदोन्नति सन् 2005 से आज तक न किये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व श्री किरण पाल कश्यप, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

31-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के दिल्ली, गाजियाबाद व मेरठ हाई-वे, आजमगढ़-लखनऊ हाई-वे आदि में प्रवेश के सभी हाई-वे मार्गों पर अवैध रूप से ट्रक, डम्पर सहित अन्य दूसरे भारी वाहन खड़े रहने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक व श्री दिनेश कुमार गोयल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

32-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित रोडवेज बसों में वार्षिक एम0एस0टी0 सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

33-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मृतक आश्रितों को सेवायोजन का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

34-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-श्रावस्ती के भिनगा मुख्यालय पर रोडवेज डिपो एवं बसों का संचालन करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 प्रज्ञा त्रिपाठी व श्री साकेत मिश्रा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

35-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद अमेठी से लखनऊ के लिये सुबह व शाम जनरथ बस सेवा शुरू करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द नारायण शुक्ल व डा0 लालजी प्रसाद निर्मल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

36-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-मेरठ के मवाना बस स्टैण्ड से विभिन्न कस्बों एवं गांवों से होते हुये मेरठ बस स्टैण्ड तक बसों का संचालन करवाये जाने के सम्बन्ध

में श्री दिनेश कुमार गोयल व श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

37-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, उत्तर प्रदेश कारखाना कल्याण अधिकारी के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को सातवें वेतन के अनुरूप वेतनमान पुनरीक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

38-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा वातानुकूलित बसें लखनऊ से क्रमशः बाराबंकी, रामनगर, कोटवाधाम होते हुए टिकैतनगर व लखनऊ से बाराबंकी होते हुए देवा से फतेहपुर तथा लखनऊ से सण्डीला गोसगंज होते हुए मल्लावां तक चलवाये जाने के सम्बन्ध में इंजी0 अवनीश कुमार सिंह व श्री अंगद कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

39-मुख्य मंत्री, प्रदेश ईंट भट्ठा संचालकों को जे0सी0बी0 से 02 मीटर गहरी मिट्टी खुदाई की अनुमति दिये जाने के आदेशों का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को नियम 111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

40-मुख्य मंत्री, जनपद-सोनभद्र स्थित बैरियर को पुनः सुचारु रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

41-मुख्य मंत्री, जनपद-मिर्जापुर में स्थित लगभग सभी पत्थर के खदानों में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

42-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-बरेली के विभिन्न गांवों में बस सेवा संचालन के सम्बन्ध में श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

43-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद सीतापुर के अति प्रसिद्ध एवं पौराणिक स्थल मिश्रिख तीर्थ में बस स्टाप बनाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान

परिषद् द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

44-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-बाबई, विकास खण्ड-मोंठ, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से सामुदायिक भवन का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

45-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सगौली खडैनी, विकास खण्ड-बामौर, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

46-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम ककरा कला, विकास खण्ड-भुता, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

47-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-वसावनपुर, विकास खण्ड-फरीदपुर, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

48-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-रेहली, विकास खण्ड-नवाबगंज, जनपद-गोण्डा के निवासियों की ओर से सड़कों, नालियों एवं बारात घर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

49-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-होलापुर काजी, विकास खण्ड-नवाबगंज, जनपद-गोण्डा के निवासियों की ओर से सड़क, नाली, सामुदायिक शौचालय एवं बारात घर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

50-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-लौना, विकास खण्ड-पहला, जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से सार्वजनिक भवन/बारात घर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

51-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-धंवरपारा व शंकरपुर, विकास खण्ड मछरेहटा, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'झ')

52-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पकरिया पाण्डेय, ब्लाक-महोली, जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ञ')

53-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-बेलवा मलूकापुर, पोस्ट-पड़रिया तुला, ब्लाक-बिजुआ, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से राजमार्ग पर रेडियम सांकेतिक बोर्ड एवं डिवाइडर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ट')

54-श्री राम चन्द्र प्रधान, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पोनी, विकास खण्ड सिकन्दरपुर कर्ण, जनपद-उन्नाव के निवासियों की ओर से बारातघर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ठ')

55-श्री राम चन्द्र प्रधान, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-महपरापुर, विकास खण्ड-सफीपुर जनपद उन्नाव के निवासियों की ओर से डा0 भीमराव अम्बेडकर स्थल का सौन्दर्यीकरण व बारातघर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ड')

56-मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

57-मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

58-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

59-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

60-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

61-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

62-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

63-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

64-मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

65-मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

66-संस्कृति मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

67-संस्कृति मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

68-संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 के नियम-59 (9) के अन्तर्गत ''विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश'' विषय पर निम्नलिखित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर अनवरत् चर्चा :-

> ''आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दिया है।
>
> मा0 प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर जहाँ भारत सरकार तेजी के साथ कार्य करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इस संकल्प को सफल बनाने के लिए समेकित प्रयास कर रही है, वहीं देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को मूर्तरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा, जब राज्य विकसित होने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठायेंगे। विकसित भारत में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की भागीदारी एवं सहभागिता हो, इस दृष्टि से इसे आम चर्चा बनाना एवं सामान्य नागरिक को इस परिचर्चा से जोड़ना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के विकसित भारत संकल्प को प्राप्त करने में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जोड़े जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए इसका प्रारम्भ सदन में चर्चा के साथ किया जा रहा है। हम नीति आयोग, विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश के दृष्टिपत्र को मूर्तरूप देंगे जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक कार्य-योजना की तरह प्रदेश का मार्गदर्शन करेगा।''

लखनऊ : आज्ञा से,

बुधवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1947 **डा0 राजेश सिंह,**

(13 अगस्त, 2025) प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	3-4-2025
*2	3-4-2025
*3	3-4-2025
*4	8-4-2025
*5	8-4-2025
*6	16-6-2025
*7	18-6-2025
*8	28-7-2025
*9	28-7-2025
*10	28-7-2025
*11	28-7-2025
*12	28-7-2025
*13	28-7-2025
*14	28-7-2025

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	16-4-2025
2	16-4-2025
3	24-4-2025
4	30-4-2025
5	2-5-2025
6	2-5-2025
7	2-5-2025
8	6-5-2025
9	9-6-2025
10	16-6-2025
11	16-6-2025
12	16-6-2025

नत्थी 'क'

बुधवार, दिनांक 13 अगस्त, सन् 2025 ई0

तारांकित प्रश्न

प्रयागराज व झांसी मण्डल में जिला कारागार में नियुक्त कार्मिकों के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
1

कारागार मंत्री

*1-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि विभाग द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 15 मार्च, 2025 तक प्रयागराज व झांसी मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जिला कारागारों में कब-कब शासन स्तर व मुख्यालय स्तर पर नियुक्त कार्मिकों का निरीक्षण किया गया है ?

(ख) क्या निरीक्षण के दौरान जिला कारागारों में कोई खामियां भी पायी गयी हैं ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह
2

*2-[अन्तरित]

उ0 प्र0 राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 3	*3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु कब-कब विज्ञापन प्रकाशित किये गये ? (ख) उक्त पदों हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ? (ग) अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री

श्रमिकों एवं उनके बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 4	*4-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में कितनी धनराशि पुल, सड़क, स्कूल, सरकारी कार्यालय एवं निजी भवनों के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 'श्रम कर' के नाम पर दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 01 जनवरी, 2025 तक प्राप्त की गई ? (ख) उक्त धनराशि में से किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों एवं उनके बच्चों को कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गईं तथा उस पर कितना धन व्यय किया गया ? (ग) क्या उक्त की विस्तृत आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

परिवहन निगम में वर्ष 2018 से मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 5	*5-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि परिवहन निगम में वर्ष 2018 से अब तक कितने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति प्रदान की गयी है, और कितने अब तक विचाराधीन हैं ? (ख) उक्त का सम्पूर्ण विवरण क्या है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

जनपद इटावा बार्डर उदी मोड़ से प्रतिदिन हो रहे खनन के रोकथाम के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 6	*6-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा बार्डर उदी मोड़ से प्रतिदिन खनन ओवर लोड हो रहा है तो सरकार इसके रोकथाम में हेतु प्रयास कर रही है ?	मुख्य मंत्री

(ख) यदि हां, तो क्या ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद सहारनपुर में स्थायी बस अड्डे के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 7 — परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*7-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर में कोई स्थायी बस अड्डा नहीं है, जिससे शहर के अलग-अलग स्थानों पर बसें खड़ी रहती हैं और रास्तों पर बसें खड़ी रहने से जाम की स्थिति पैदा होती है ?

(ख) क्या बस अड्डे के लिये कोई जगह प्रस्तावित है ?

(ग) यदि हाँ, तो कहाँ और कब तक उक्त कार्य शुरू हो जायेगा ?

(घ) यदि कोई जगह नहीं प्रस्तावित की गयी है तो क्यों ?

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालय में शिक्षक एवं मार्गदर्शन केन्द्र के अनुदेशक संवर्ग की (सन् 2005 से आज तक) पदोन्नति के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 8 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*8-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के सेवायोजन कार्यालय में शिक्षक एवं मार्गदर्शन केन्द्र के अनुदेशक संवर्ग की पदोन्नति सन् 2005 से आज तक रोकी गयी है ?

(ख) लिपिकीय संवर्ग की पदोन्नति हेतु सेवायोजन निदेशालय द्वारा प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर से पदोन्नति बहाल करा दी गयी, तो अनुदेशक संवर्ग का प्रस्ताव क्यों नहीं बनाया गया ?

(ग) यदि कोई प्रस्ताव अनुदेशक संवर्ग की पदोन्नति से सम्बन्धित बनाया गया है या प्रक्रिया में है तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

(घ) सेवायोजन विभाग में अनुदेशक संवर्ग को छोड़कर कोई अन्य पद/संवर्ग उपलब्ध है जिस पद पर पदोन्नति की व्यवस्था न होने के कारण अपने मूल पद से ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं ?

(ङ) यदि नहीं, तो अनुदेशक संवर्ग की पदोन्नति क्यों रोकी गयी है ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 9

*9-[अन्तरित]

जनपद-सोनभद्र में खनन विभाग से प्राप्त होने वाले राजस्व व अवैध खनन के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 10 — *10-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सोनभद्र में खनन विभाग से अक्टूबर, 2024 से अब तक माहवार कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? — मुख्य मंत्री

(ख) क्या दिनांक 06 फरवरी, 2025 को मुख्य सचिव द्वारा अवैध खनन रोके जाने हेतु लगाये गये बैरियर को हटवा दिया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो राजस्व क्षति के दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-सहारनपुर में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 11 — *11-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सहारनपुर में हो रहे अवैध खनन को संज्ञान में लेकर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? — मुख्य मंत्री

(ख) तहसील-बेहट, ग्राम-रहना के खसरा नम्बर-67/1 व उसके आस-पास हो रहे अवैध खनन के कारण खारा जल विद्युत परियोजना व CISF कॉलोनी को सीधा खतरा है ?

(ग) क्या यह प्रकरण सरकार के संज्ञान में है और अगर है तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

(घ) यदि अब तक कार्यवाही नहीं गयी, तो कब तक कार्यवाही करायेंगे ?

भू-तत्व व खनिकर्म विभाग के अन्तर्गत पट्टा आवंटन नीति के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 12 — *12-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग के अन्तर्गत पट्टा आवंटन की नीति क्या है और उक्त आवंटन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ? — मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद सहारनपुर के तहसील-बेहट के गांव लतीफपुर भूंड व नित्यानन्दपुर में हो रहे अवैध खनन में क्रेशरों को दिये जाने वाले एन0ओ0सी0 के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 13 — *13-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर के तहसील बेहट के गांव लतीफपुर भूंड व नित्यानन्दपुर में हो रहे अवैध खनन जिसमें विभाग द्वारा क्रेशरों को एन0ओ0सी0 दी जा रही है ? — मुख्य मंत्री

(ख) गांव लतीफपुर भूंड व नित्यानन्दपुर में खसरा नम्बर-24/2, 24, 19 आदि में खनन विभाग द्वारा क्रेशरों को एन0ओ0सी0 दी गई है, जिससे सटे बागों का कटाव होने से नुकसान होता है, जिससे उन क्रेशर मालिकों पर कोई कार्यवाही की गयी है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

(घ) यदि नहीं, तो कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई है तथा उक्त पर कब तक कार्यवाही करायेंगे ?

वित्तीय वर्ष 2023-24 में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जनता को लाभ प्राप्त कराये जाने हेतु प्रचलित योजनाओं के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
14

*14-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में खाद्य एवं रसद विभाग का बजट कितना था और उक्त विभाग के अन्तर्गत जनता को लाभ प्राप्त कराये जाने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं प्रचलित हैं ?

मुख्य मंत्री

(ख) क्या वर्तमान में उक्त वित्तीय वर्ष की योजनाओं में कोई बढ़ोत्तरी की गयी है या केवल बजट ही बढ़ाया गया है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

श्री पवन कुमार सिंह
1

1-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर सिधौली बस स्टाप पर जन-सुविधायें न होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु बस अड्डे पर यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए बस अड्डे का सौन्दर्यीकरण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव
2

2-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद झाँसी में स्वीकृत बी0पी0सी0एल0 पेट्रोल पम्पों को जिला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिलाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 04 अप्रैल, 2025, जो कि आपको सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो जनपद-झाँसी में स्वीकृत बी0पी0 सी0एल0 पेट्रोल पम्पों को जिला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभी तक न दिये जाने हेतु कौन-कौन से जिम्मेदार अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

(ग) उत्तरदायित्व निर्धारित कराते हुए कब तक उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिला दिया जायेगा ?

(घ) उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सूरत राजभर 3	3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड बलहा, ग्राम पंचायत-रजवापुर में सरकारी कोटे की दुकान संचालित है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या कोटे की दुकान अन्यत्र ग्राम से संचालित हो रही है ? (ग) क्या ग्रामवासियों की समस्या के दृष्टिगत उक्त कोटे की चयन समिति की बैठक कराकर उसे पूर्व ग्राम पंचायत से ही संचालित करायेंगे ? (घ) यदि हां, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 4	4-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में विकास खण्ड-रामपुर मथुरा के लोगों को तहसील-मुख्यालय महमूदाबाद आने के लिए परिवहन के साधन न होने से कठिनाई का सामना करना पडता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु परिवहन निगम की बसों का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 5	5-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]	
डा0 मान सिंह यादव 6	6-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के कार्मिकों का वेतनमान उ0प्र0 सचिवालय के कार्मिकों की भाँति है एवं उनकी नियुक्ति उ0प्र0 सचिवालय की भाँति होती है ? (ख) यदि हाँ, तो उ0प्र0 सचिवालय की भाँति उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के कार्मिकों को प्रतिमाह समाचार-पत्रों की प्रतिपूर्ति प्रदान करायेंगे ?	मुख्य मंत्री

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 7	7-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के लहरपुर-बिसवां मार्ग पर परिवहन के समुचित साधन न होने से लोगों को आवागमन के लिए मजबूरी में डग्गामार वाहनों का प्रयोग करना पड़ता है ? (ख) उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त मार्ग पर बसों का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 8	8-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बिसवां में स्थाई बस अड्डा न होने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) उक्त समस्या के निदान हेतु बिसवां में स्थायी बस अड्डों का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 9	9-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में महमूदाबाद से सिधौली मार्ग पर रोडवेज बसों के अभाव में आम-जनता को यात्रा करने में कठिनाई होती है और डग्गामार वाहन इसका अनुचित लाभ उठाते हैं ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त मार्ग पर बसों का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 10	10-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में तहसील लहरपुर से अयोध्या के लिए परिवहन निगम की बसों का संचालन न होने के कारण तीर्थयात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है ? (ख) क्या उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त मार्ग पर बसों का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री पवन कुमार सिंह 11	11-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में महोली से नैमिषारण्य मार्ग पर परिवहन निगम की बसें न होने के कारण यात्रियों को डग्गामार वाहनों का उपयोग करना पड़ता है ? (ख) क्या उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त मार्ग पर बसों का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 12	12-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-हरदोई में शाहाबाद से पाली जाने हेतु परिवहन निगम की बसें न होने के कारण यात्रियों को डग्गामार वाहनों का उपयोग करना पड़ता है ? (ख) क्या उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त मार्ग पर बसों का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-झांसी के अन्तर्गत तहसील व विकास खण्ड-मोंठ के ग्राम पंचायत-बाबई में सामुदायिक भवन (बारात घर) बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम पंचायत बाबई, विकास खण्ड मोंठ, जनपद-झांसी के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत बाबई में विवाह हेतु कोई विवाह घर नहीं है। जिसके कारण वहाँ के ग्रामवासियों को विवाह एवं अन्य कार्यक्रम के लिये प्राईवेट लॉज में जाना पड़ता है, प्राईवेट लॉज में कई लाख रुपये का खर्च आता है जिसके कारण वहाँ के गरीब कन्याओं एवं मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को खुले स्थान पर टेण्ट लगाकर विवाह एवं अन्य कार्यक्रम करना पड़ता है। वहाँ के निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत-बाबई में सामुदायिक भवन (बारात घर) बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बामौर के ग्राम पंचायत-सगौली खडैनी में डामर रोड से श्री प्रताप नायक के खेत तक लगभग-1600 मीटर सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड बामौर, ग्राम पंचायत सगौली के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत सगौली खडैनी में डामर रोड से श्री प्रताप नायक के खेत तक लगभग-1600 मीटर सड़क कच्ची एवं गड्डा युक्त है, जिसके कारण वहाँ के ग्रामवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्राम में उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक उक्त मार्ग पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत-सगौली खडैनी में डामर रोड से श्री प्रताप नायक के खेत तक लगभग-1600 मीटर सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-भूता के ग्राम-ककरा कला में मेन रोड से श्री नन्दराम जी पूर्व विधायक के घर तक लगभग-300 मीटर सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-ककरा कला, विकास खण्ड-भूता, जनपद-बरेली के निवासी हैं। ग्राम-ककरा कला में मेन रोड से श्री नन्दराम जी पूर्व विधायक के घर तक लगभग-300 मीटर सड़क

मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। जिसके कारण वहाँ के ग्रामवासियों को आवागमन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा बरसात के समय दुर्घटनाओं की आंशका बनी रहती है। वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-ककरा कला में मेन रोड से श्री नन्दराम जी, पूर्व विधायक के घर तक लगभग-300 मीटर सी0सी0 रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
08 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-फरीदपुर के ग्राम-वसावनपुर से श्री दाता सॉई महराज शिव मन्दिर तक लगभग-1600 मीटर क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-वसावनपुर, विकास खण्ड-फरीदपुर, जनपद-बरेली के निवासी हैं। ग्राम-वसावनपुर से श्री दाता सॉई महराज शिव मन्दिर तक लगभग-1600 मीटर मार्ग बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण वहाँ के निवासियों को आवागमन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा बरसात के समय दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम-वसावनपुर से श्री दाता सॉई महराज शिव मन्दिर तक लगभग-1600 मीटर क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
08 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड-नवाबगंज, ग्राम पंचायत-रेहली में निम्नलिखित कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-रेहली के विकास खण्ड-नवाबगंज, जनपद-गोण्डा के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-रेहली में निम्नलिखित कार्यों को कराये जाने हेतु ग्राम पंचायत-रेहली के निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु ग्राम पंचायत-रेहली में उक्त कार्यों को अभी तक नहीं कराया गया है, जो निम्नलिखित हैं :-

1-पल्टू के घर से परसुराम के घर के पास तालाब तक लगभग 250 मीटर सी0सी0 रोड एवं नाली का कार्य,

2-बारात घर बनवाये जाने हेतु,

3-पुल्लू के घर से अनिल सिंह के घर तक लगभग 300 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य,

4-पक्की सड़क से झोथू के घर तक लगभग 150 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड हेतु,

5-कर्ताराम के घर से छेदी के घर तक लगभग 100 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का कार्य,

6-पक्की सड़क से बिन्दकिशोर के घर तक लगभग 150 मीटर सी0सी0 रोड बनवाये जाने हेतु,

7-निरहू के घर से पुसई के मडहा होते हुये बांसू के घर तक लगभग 500 मीटर सी0सी0 रोड का कार्य,

8-डिहवा कालीस्थान से पक्की सड़क तक लगभग 450 मीटर सी0सी0 रोड व भूमिगत नाली निर्माण का कार्य।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड-नवाबगंज, ग्राम पंचायत-रेहली में निम्नलिखित कार्यों को कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड-नवाबगंज, ग्राम पंचायत-होलापुर काजी में (इण्टरलॉकिंग रोड, सी0सी0 सड़क, बारात घर, सार्वजनिक शौचालय, नाला) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-होलापुर काजी, विकास खण्ड-नवाबगंज, जनपद-गोण्डा के निवासी हैं। ग्राम पंचायत-होलापुर काजी में निम्नलिखित कार्यों को कराया जाना अति आवश्यक है। हमारे ग्राम पंचायत में इण्टरलॉकिंग रोड, सी0सी0 सड़क, बारात घर, सार्वजनिक शौचालय, नाला निर्माण का कार्यों को कराये जाने हेतु वहां कि निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है परन्तु आज तक जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड-नवाबगंज, ग्राम पंचायत-होलापुर काजी में (इण्टरलॉकिंग रोड, सी0सी0 सड़क, बारात घर, सार्वजनिक शौचालय, नाला) का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड पहला, ग्राम पंचायत-लौना में सार्वजनिक भवन/बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद सीतापुर विकास खण्ड पहला, ग्राम पंचायत-लौना के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत में सामाजिक समारोह/वैवाहिक कार्यक्रम हेतु कोई भी सार्वजनिक भवन नहीं है। जिससे वहां के ग्रामवासियों को विवाह व अन्य कार्यक्रम करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है किन्तु आज तक जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत-लौना में सार्वजनिक भवन/बारात घर बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'झ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मछरेहटा, ग्राम पंचायत-धंवरपारा में शंकरपुर चौराहे से श्री चन्द्रपाल के मकान तक लगभग 600 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद सीतापुर, विकास खण्ड मछरेहटा, ग्राम पंचायत-धंवरपारा के मूल निवासी हैं। ग्राम पंचायत-धंवरपारा में शंकरपुर चौराहे से श्री चन्द्रपाल के मकान तक लगभग 600 मीटर सड़क मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। जिसके कारण वहां के निवासियों को आवागमन में काफी समस्याओं का

सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है, किन्तु आज तक जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत-धंवरपारा में शंकरपुर चौराहे से श्री चन्द्रपाल के मकान तक लगभग 600 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ञ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड महोली, ग्राम-पकरिया पाण्डेय के ग्राम-नेरी से पकरिया पाण्डेय तक सड़क की मरम्मत व पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड महोली के ग्राम-पकरिया पाण्डेय के मूल निवासी हैं। ग्राम नेरी से पकरिया पाण्डेय तक सड़क के बहुत जर्जर अवस्था में होने के कारण वहां के निवासियों को आवागमन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम-पकरिया पाण्डेय के ग्राम नेरी से पकरिया पाण्डेय तक सड़क की मरम्मत व पुनः निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ट'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिजुआ, महेवागंज वॉया पड़रिया तुला, वॉया बिजुआ भीरा राजमार्ग मलूकापुर क्रेशर के पास रेडियम सांकेतिक बोर्ड एवं डिवाइडर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-बिजुआ, महेवागंज वॉया पड़रिया तुला, वॉया बिजुआ भीरा राजमार्ग के अन्तर्गत आने वाली सड़क मोड़ मलूकापुर क्रेशर जोकि पोस्ट-पड़रिया, ग्राम-मलूकापुर तुला के क्षेत्र में आता है। उक्त मार्ग पर बहुत अन्धा मोड़ है, जिससे प्रतिदिन मार्ग पर कोई न कोई दुर्घटना घटित होती है और जान-माल का नुकसान होता है। जनहित को दृष्टिगत रखते हुये सड़क के दोनों तरफ रेडियम सांकेतिक बोर्ड एवं रोड पर डिवाइडर बनाना अति आवश्यक है। वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिजुआ, महेवागंज वॉया पड़रिया तुला, वॉया बिजुआ भीरा राजमार्ग मूलकापुर क्रेशर के पास रेडियम सांकेतिक बोर्ड एवं डिवाइडर का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ठ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड-सिकन्दरपुर, ग्राम पंचायत-पोनी में सार्वजनिक स्थान पर बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड-सिकन्दरपुर, ग्राम पंचायत-पोनी के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर कोई बारात घर न होने के कारण स्थानीय निवासियों को विवाह एवं अन्य कोई कार्यक्रम का आयोजन करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड-सिकन्दरपुर, ग्राम पंचायत-पोनी में सार्वजनिक स्थान पर बारात घर बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ड'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड-सफीपुर ग्राम पंचायत-महपरापुर में डा0 भीमराव अम्बेडकर स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं ग्राम पंचायत में बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड-सफीपुर ग्राम पंचायत-महपरापुर के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत में स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर स्थल बहुत क्षतिग्रस्त स्थिति में है तथा ग्राम पंचायत में कोई बारात घर न होने के कारण विवाह तथा अन्य कार्यक्रम में काफी कठिनाइयों का सामना

करना पड़ता है। वहां के निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड-सफीपुर ग्राम पंचायत-महपरापुर में डा0 भीमराव अम्बेडकर स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं ग्राम पंचायत में बारात घर बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।